

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं०-10/2014 252

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/देवघर;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 2-3-15

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796740545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014-2015 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/ 74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796740545	16.339

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ सोलह लाख तेतीस हजार नौ सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2014-15 के बजट उपबंध रु. 1710.00 लाख (सत्तरह करोड़ दस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप परिशिष्ट-2, पर वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

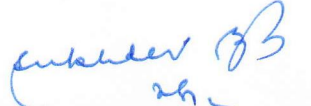

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : आवंटित राशि को **Online Allotment System** द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका **Access no** परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

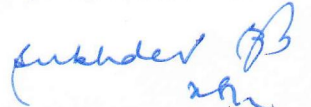
252

राँची, दिनांक :-

2-3-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो.- हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/देवघर/मधुपुर/जामताड़ा/दुमका/सिमडेगा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

252

राँची, दिनांक :-

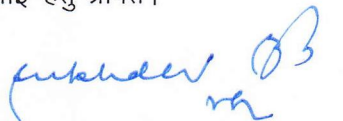
2-3-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक..... 052

दिनांक 2-3-15

का अनुलनक

परिशिष्ट -1

मोंग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिय्य,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना

उप शीर्ष-74-मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में पूर्ण किये जाने वाले योजनाओं का अवशेष कार्य एवं दायित्व,

शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य 49P470180796740545

वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजट उपबंध 1710.00 लाख (सत्तरह करोड़ दस लाख) मात्र।

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्र० स्वी० की राशि		मार्च 2014 तक का व्यय।	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया (DGRCRAG03)	देवघर	अजय बराज योजना	35184.52	37 / 06-07 प्र०स्वी० दिनांक-22.03.07	35391.44	55.5000	38.4000	93.9000	102150	
2	सिंचाई प्र०-2, सिकटिया (DGRCMMF72)	देवघर					22.9500	16.3390 8.4800	47.7690	102258 102251	
3	सिंचाई प्र०, जामताड़ा (JMTMAR001)	देवघर				286.2456	13.1200	299.3656	102216		
4	जलपथ प्रमंडल, सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	साँची	रामरेखा जलाशय योजना	5386.87	51 / प्र०स्वी० दिनांक-12.03.2003	5006.660	100.0000	-60.000	40.0000	33917	
				कुल योग		464.6956	16.3390	481.0346			
आवंटित राशि - ₹ सोलह लाख तेतीस हजार नौ सौ मात्र।											

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौसरिया)
उप सचिव (अभि०)(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

विपत्र कोर्ड- 49P470180796740545

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सिंचाई प्रमण्डल, सिकटिया	अजय बराज योजना	G-Bridges				
			S.L.R Bridge to connect Murgabani & Gaura village (4F2/2012-13)	8.0000	0.0000	8.0000	
			One Additional S.L.R Bridge to connect Taljhari to Chaurath village Kutcha Road	10.0000	5.0000	15.0000	
			One Additional S.L.R Bridge to connect Mathatand to Amlachatar village Kutcha Road	10.0000	5.0000	15.0000	
			P-Maintenance				
			Surface cleaning, Sand blasting, painting of Ajay Barrage Gate & Hoisting. (03F2/2013-14)	20.0000	20.0000	40.0000	
			Electricity charge of Ajay Barrage, Sikatia from Nov., 2012 to March, 2014 and expected amount up to March, 2015	5.0000	5.0000	10.0000	
			O-Misc				
			Annual R/M of D.G. set, Ajay Barrage gate, Electrical assembly (including minor replacements). Gate operation and guarding by seasonal labours. Painting of gauge meter on L/R abutments etc.	2.0000	3.0000	5.0000	
R/M to I.V	0.5000	0.4000	0.9000				
योग				55.5000	38.4000	93.9000	
2	सिंचाई प्रमण्डल, सं०-2, सिकटिया	अजय बराज योजना	G-Bridges				
			Construction of D.L.R. Bridge at chain 8.5 of A.M.C. (04F2/2012-13)	8.4500	0.0000	8.4500	
			Construction of S.L.R. Bridge at ch. 373.00 of A.M.C.	5.0000	7.5000	12.5000	
			Construction of D.L.R. Bridge at Ch 408.00 of A.M.C	0.0000	8.0000	8.0000	
			O-Misc.				
			Annual Maintenance of I.B. at Madhupur	2.5000	2.5000	5.0000	
			R/M of 2 nos I.V. JH15C 8545 & JH-01P/ 0258 of Div. & Circle.	1.0000	0.8190	1.8190	
			Annual Maintenance of Colony (WS + Sanitation + Electricity + Mali + Sweeper + Electrician + Plumber & Helper) at Madhupur	4.0000	3.0000	7.0000	
			P-Maintenance				
R/M to AMC from Ch 0.00 to 460.00 including bed cutting with seasonal labour payment	2.0000	3.0000	5.0000				
योग				22.9500	24.8190	47.7690	
3	सिंचाई प्र०, जामताड़ा	अजय बराज योजना	A-Preliminary				
			Supplying and Fixing of Boundary pillars at Ch. 460 to 1700 and making of TBM & Chainage of structure (9F2/2013-14)	0.0000	3.0000	3.0000	
			Rectification of H.R of Dimjori Disty. (7F2/2013-14)	0.8200	0.0000	0.8200	
			Repair of C.D Works, R/M of Canal & Seasonal labour payment during irrigation.	2.2500	2.5000	4.7500	
			Repair of Bridges from Ch. 460 to 1700 (6F2/2013-14)	0.5200	0.0000	0.5200	
			L-Earth Work				
			Strengthening of bank from Ch. 460 to 840 of A.M.C. (SBD1/2013-14)	131.0800	0.0000	131.0800	
			Strengthening of bank from Ch. 840 to 1190 of A.M.C	50.0000	0.0000	50.0000	
			Strengthening of bank from Ch. 1190 to 1425 of A.M.C	60.0000	0.0000	60.0000	
			Strengthening of bank from Ch. 1425 to 1700 of A.M.C	0.0000	3.1200	3.1200	
			Protection work of Right bank of AMC from Ch 1685 to Ch 1700 (08F2/2013-14)	5.0800	0.0000	5.0800	
			O-Misc.				
			R/M of 2 nos. Insp. Vehicles BHL5268 & BRL6270	2.0000	0.0000	2.0000	
			दिनांक-11.11.2011 को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आरबीट्रेशन अपील संख्या-07/2010 झारखण्ड राज्य बनाम एच.पी.विश्वास मामले में प्रदत्त निर्देश के आलोक में अवार्ड राशि के भुगतान हेतु	34.4956	0.0000	34.4956	
			Repair of residential & office Building in Irrigation Colony, Jamtara	0.0000	4.5000	4.5000	
योग				286.2456	13.1200	299.3656	
	जलपथ प्रमंडल, सं०-1, सिमडेगा	रामरेखा जलाशय योजना	योजना कार्य एवं निरीक्षण वाहन हेतु	100.00	-60.00	40.00	
योग				100.0000	-60.0000	40.0000	
कुल योग				464.6956	16.3390	481.0346	
अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ सोलह लाख तेतीस हजार नौ सौ मात्र।							

अतिरिक्त आवंटित राशि - ₹ सोलह लाख तेतीस हजार नौ सौ मात्र।

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति) साधन चौरसिया
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव